राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष न. : 0141-2227884,
ई-मेल : seprd1235@gmail.com, rajpr.xentc@rajasthan.gov.in & rajpr.sep@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ 4 (67) पंराबि/पीसी/हैण्डपम्प संधारण/2014/3182 जयपुर, दिनांक : 3/10/18

जिला कलेक्टर,
समस्त।

विषय :- पेयजल कार्यो हेतु जनहित में खातेदारी की भूमि के संबंध में।

प्रसंग :-विभागीय समसंख्यक पत्रांक 668 दिनांक 26.02.18, पत्रांक 1495 दिनांक 8.05.18 एवं राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक प0 9 (15) राज-6/2018 दिनांक 13.03.2018 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा निजी भूमि पर पेयजल संरचनाओ के निर्माण हेतु भूमि स्वामित्व बाबत निर्देश दिये गये थे। इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि पंचायती राज संस्थाओ द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के पेयजल हेतु ट्यूबवैल, हेण्डपम्प, पानी की टंकी तथा टांका निर्माण निजी खातेदारो के स्वामित्व की भूमि पर कराये जाने की स्थिति में, निजी खातेदार को 100/- रू. के स्टाम्प पेपर पर अपनी भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। संबंधित पटवारी को समर्पण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त पंचायती राज संस्थाऐं उक्त भूमि पर जनहित के पेयजल संबंधी कार्य करवा सकेंगी। पंचायती राज संस्थाऐं उक्त समर्पण पत्र को संबंधित पटवारी को नामान्तरण हेतु अग्रेषित करेंगी, जिस पर कार्यवाही राजस्व विभाग के आदेश (प्रति संलग्न) के अनुसरण में की जावेगी।

भवदीय

(कुंजी ... ना)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं प.रा.विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा.विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
8. एनआईसी मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने के क्रम में।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता